राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 8(1)विधि–2/विरस (115)/2022/50 जयपुर दिनांक: 08/02/2022

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/
जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राज0राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

विषयः– दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

संदर्भः– राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र एफ04(197)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–I/2022 /1500–1503 दिनांक 31.01.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, रा.ल.सा. के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालय (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में ऑफ लाईन/ऑन लाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जावेगी।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान करे कि वेः–

1. लोक अदालत में निस्तारित होने वाले सभी उपयुक्त प्रकरणों को विभागीय स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय/अधिकरण/फोरम/आयोग /अथोरिटी/ बोर्ड /प्राधिकारी, जहॉ विवाद लम्बित है, प्रस्तुत करे एवं सम्बन्धित से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर, इन्हें लोक अदालत को रेफर करें।
2. उपरोक्तानुसार चिन्हित प्रकरणों की सूची राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण से भी सॉफ्ट कॉपी (एक्सल) में साझा करें।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूर्ण तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करें।
4. राजस्थान कर बोर्ड–अजमेर, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिबुनल, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्व मण्डल एवं अन्य ऐसे फोरम जिनमें एक से अधिक बैंच के गठन का प्रावधान है, को निर्देशित करावें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने के लिये चिन्हित किये गये प्रत्येक राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकरण प्री–काउन्सलिंग आवश्यक रूप से करवायी जावेगी, जिसके लिये सुविधानुसार उचित प्रकिया इनके द्वारा स्वयं के स्तर से तैयार की जा सकेगी।
5. सभी विभागाध्यक्षों को लम्बित सिविल प्रकरण मय अपील व रिट प्रकरण मय अपील की समीक्षा कर उनके निस्तारण एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष नियत करने हेतु कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित करावें।

6. राजस्व मण्डल, अजमेर एवं समस्त राजस्व न्यायालयों को यह निर्देशित करावें कि डिवीज़न ऑफ रेवन्यू होल्डिंग के मामले, स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण/विवाद, सुखाधिकार सम्बन्धी प्रकरण/ विवाद, रास्ते सम्बन्धी प्रकरण, जमाबन्दी में प्रविष्ठी से सम्बन्धित प्रकरण, सेटलमेंट सम्बन्धी प्रकरण एवं अन्य लघु प्रकृति के रेवन्यू प्रकरण में आयोजित की जाने वाली डोर–स्टेप काउन्सलिंग में अपना पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करावें। डोर–स्टेप काउन्सलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं।
7. सभी विभागाध्यक्षों को विशिष्ठ तौर पर यह निर्देश प्रदान करावें कि माननीय राज0उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर, अधिकरण अथवा अधीनस्थ न्यायालयों आदि में लम्बित ऐसे मामले जो कि किसी प्रभावी एवं अन्तिम निर्णय से शासित होते हैं (Coverd Cases) उनकी सूची पृथक से तैयार कर दिनांक 31.01.22 तक आवश्यक रूप से राज0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ सॉफ्ट कॉपी (Excel) में साझा करें।
8. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को विशिष्ठ तौर पर यह निर्देशित करावें कि पथ परिवहन निगम के श्रम एवं नियोजन सम्बन्धी विवादों में एक तार्किक एवं प्रभावी लिटिगेशन पॉलिसी तैयार कर, ऐसी पॉलिसी के अग्रसरण में अधिकाधिक प्रकरणों का राजीनामें के माध्यम से लोक अदालत के तहत निस्तारित करने का प्रयास करें।
9. इसी कम में अध्यक्ष राजस्थान पथ परिवहन निगम को यह भी निर्देशित करावें कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के यहाँ लम्बित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मामलों में बीमा कम्पनी के साथ बैठक के समय निगम अपना उचित प्रतिनिधि भिजवायें, जो ऐसी कमेटी में सहमति बनने की स्थिति में रालसा द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करें।
10. इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जाने वाले प्रकरणः–

<u>प्री–लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases):–</u>

- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण।
- राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित।
- सिविल विवाद
- सर्विस मेटर्स
- उपभोक्ता विवाद
- अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/ॲथोरिटी/ आयुक्त/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं)।

<u>न्यायालय में लंबित प्रकरण (Case pending in Court)।</u>

- राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण
- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण
- सभी प्रकार के सर्विस मेटर्स(पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा)
- सभी प्रकरण के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित
- वाणिज्यिक विवाद
- बैंक के विवाद
- गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद
- सहकारीता सम्बन्धी विवाद
- परिवहन सम्बन्धि विवाद

- स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि) के विवाद
- रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद
- रेलवे क्लेम सम्बन्धी विवाद
- आयकर सम्बन्धी विवाद
- अन्य कर सम्बन्धी विवाद
- उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य विवाद
- सिविल मामले (किरायेदारी, बँटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे) आदि।
- अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/ मंचों/ ॲथोरिटी/ प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं।

अतः निर्देशानुसार आप से यह भी अनुरोध है कि आप लोक अदालत में निस्तारित करवाये जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित करवाकर आपके विभाग की ओर से किसी ऐसे अधिकारी को नोडल अधिकारी या प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें, जो आपके विभाग का वरिष्ठ/सक्षम अधिकारी हो, जो मुकदमों में राजीनामें के माध्यम से निस्तारण करने हेतु विभाग की ओर से सक्षम हो। ऐसे नामित/अधिकृत नोडल अधिकारी एवं प्रकरण प्रभारी अधिकारी को यह भी निर्देश प्रदान करें कि वे लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। आप द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी/प्रकरण प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं उनके मोबाईल नं0/दूरभाष नम्बर आदि की जानकारी एवं राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आपके विभाग से चिन्हित किये गये प्रकरणों की सूची **10 दिवस** के भीतर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें, जिससे कि चिन्हित प्रकरणों की सूचना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की जा सके।

ह./—

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव,वि.र.स.

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र कमांक एफ04(197)/रालसा/विशेष—सचिव/एनएलए—I/2022 /1500—1503 दिनांक 31.01.2022 के कम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6/2/2022

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव,वि.र.स.